बजट आवंटन शादी अनुदान योजना – आयोजनागत 2016–17

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, मथुरा, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रूखाबाद, फैजाबाद, अम्बेदकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतरविदासनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोण्ड़ा, बलरामपुर, बहराइच एवम् श्रावस्ती (75 जनपद)।

पत्रांक / 001-Marrige Plan /673/ पि0व0क0 / शादीअनुदान / 2016–17दिनांकः 28 जुलाई, 2016

विषय : पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 79 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि का आबंटन।

महोदय,

अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या– 79 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 1,54,00,00,000.00 (रूपया एक अरब चौवन करोड़ मात्र) की स्वीकृति पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 20 / 2016 / 2015 / 64–2–2016–1(15) / 2016, दिनांक 20 जून, 2016 द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से 50 प्रतिशत अर्थात् रू0 77,00,00,000.00 (रूपया सतहत्तर करोड़ मात्र) का आवंटन व्यय हेतु संदर्भित शासनादेश में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार आपको किया जा रहा हैः–

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 / 2016 / बी–1–746 / दस–2016–231 / 2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं आदेशों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

2. लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली सहायता उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन एवम् असहाय व्यक्तियों के इलाज तथा पुत्रियों की शादी (वित्तीय सहायता) नियमावली, 2007, शासनादेश संख्या– 7 / 2016 / 106 / 64–2–2016–1(66) / 2006 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 एवं शासनादेश संख्या–21 / 2016 / 396 / 64–2–2016–1(66) / 2006 दिनांक 18 जुलाई, 2016 के प्राविधानों तथा समय–समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों / दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रश्नगत प्राविधानों से विचन अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।

3. स्वीकृति की जाने वाली धनराशि का कोषागार से आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–79 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–03–पिछड़े वर्गो का कल्याण–800–अन्य व्यय–04–पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

5. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सम्पूर्ण, मुख्य, उपमुख्य, लद्यु तथा विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाय, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से 'आयोजनागत' शब्द अवश्य अंकित किया जाय, जिसके लिए रबर की मोहर अधिक श्रेयस्कर होगी।

6. शादी अनुदान की स्वीकृति के पश्चात् सम्बन्धित मामलों में सम्बन्धित लाभार्थियों को नियमानुसार देय आर्थिक सहायता की धनराशि का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से सर्वर पर डाटा अपलोड करने एवं तद्‌ोपरान्त रिस्पान्स प्राप्त होने पर तत्सम्बन्ध में पूर्व से प्रचलित व्यवस्थानुसार ई–पेमेन्ट के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से की जायेगी।

7. सम्बन्धित जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि इस योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली धनराशि का प्रत्येक माह सत्यापन कर तद्‌विषयक रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से प्रमाणित करा कर निदेशालय को प्राप्त करायेंगे।

8. बजट मैनुअल में निहित निर्देशों के अनुपालन में विभागीय आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा आबंटन के सापेक्ष कोषागार से आहरित धनराशि के सम्बन्ध में वाउचर संख्या तिथि तथा आहरित धनराशि का विवरण अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–8 पर भेजना सुनिश्चित किया जाय। अनुपालन न करने की दशा में इसे अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।

9. स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में वित्तीय वर्ष 2016–17 में किन्हीं नई मदों के उपयोग हेतु नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष धनराशि का समर्पण ससमय विभाग को करना अनिवार्य होगा।

10. उक्त से संबन्धित व्यय विवरण निदेशालय को नियमानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आबंटन निदेशालय आबंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 24 से 28 पर अंकित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवम् लेखाधिकारी।

(सुरेश चन्द्र तिवारी)
निदेशक।

पृ0सं0: 673 001-Marrige Plan/पि0व0क0/शादी अनुदान/2016–17 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण ,उत्तर प्रदेश।
6– सम्बन्धित योजना पटल, मुख्यालय।

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवम् लेखाधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-26/07/2016

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MARRIGE ASSISTANCE
अनुदान संख्या:- 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े(आयोजनागत-मतदेय)
03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण
800 - अन्य व्यय
04 - पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	13360000 13360000	13360000 13360000
2	मुज़फ्फर नगर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	11060000 11060000	11060000 11060000
3	मेरठ-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	13300000 13300000	13300000 13300000
4	बुलन्दशहर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	13500000 13500000	13500000 13500000
5	अलीगढ-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14180000 14180000	14180000 14180000
6	मथुरा-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9800000 9800000	9800000 9800000
7	आगरा-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	16900000 16900000	16900000 16900000
8	मैनपुरी-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7120000 7120000	7120000 7120000
9	एटा-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6800000 6800000	6800000 6800000
10	बरेली-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	17240000 17240000	17240000 17240000
11	बिजनौर-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14220000 14220000	14220000 14220000
12	बदायूं-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	12180000 12180000	12180000 12180000
13	मुरादाबाद-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	12060000 12060000	12060000 12060000
		वर्तमान		11580000